



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुररिट अपील सं 531/2025

मानसिंह भारद्वाज पिता श्री नंदलाल भारद्वाज, आयु लगभग 54 वर्ष, मूल पद: प्राचार्य, वर्तमान में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर जिला - बस्तर (छ.ग.) के पद पर कार्यरत

---अपीलार्थी

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य अवार् सचिव के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर रायपुर जिला - रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक संचालनालय लोक शिक्षण विभाग संचालनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर अटल नगर रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
3. आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर (छ.ग.)
4. कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति, जिला-बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)
5. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)

---उत्तरवादी

अपीलकर्ता हेतु: श्री राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ए.एस. राजपूत, अधिवक्ता
उत्तरवादी /राज्य हेतु: श्री यशवंत सिंह ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीशतथामाननीय श्री बिभु दत्त गुरु, न्यायाधीशपीठ पर निर्णय



2025:सीजीएचसी:36393-डीबी

रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार

28.07.2025

1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव को सुना गया, जिनकी सहायता अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.एस. राजपूत ने की। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री यशवंत सिंह ठाकुर को भी सुना गया।
2. वर्तमान न्यायालय अपील, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यूपीएस संख्या 5711/2025 (मानसिंह भारद्वाज बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में पारित दिनांक 04.07.2025 के आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता/रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता वर्तमान में जगदलपुर, जिला बस्तर में पदस्थ एक प्राचार्य और खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं। यह आरोप है कि अपीलकर्ता ने शिक्षकों के युक्तिकरण के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों को छेड़छाड़ की हुई और गलत जानकारी प्रस्तुत की, जो उक्त प्रक्रिया के संबंध में 02.08.2024 को जारी निर्देशों का उल्लंघन है। कथित कदाचार और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 (संक्षेप में, '1965 के नियम') के नियम (i), (ii), और (iii) के उल्लंघन के तहत, अपीलकर्ता को प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.06.2025 द्वारा निलंबित कर दिया गया था।
4. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता की नियुक्ति वर्ष 1995 में अंग्रेजी के व्याख्याता के पद पर हुई थी। तत्पश्चात, दिनांक 04.10.2018 के आदेश द्वारा उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया। तत्पश्चात, उन्हें प्रशासनिक स्थानांतरण के माध्यम से जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.) में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि दिनांक 05.05.2025 के आदेश द्वारा और युक्तियुक्तकरण योजना के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन में, अपीलकर्ता ने सहायक खंड शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर की अध्यक्षता में एक खंड स्तरीय युक्तियुक्तकरण आंतरिक समिति का गठन किया गया।
5. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता सिवनी (मध्य प्रदेश) में अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए 02.06.2025 से 06.06.2025 तक स्वीकृत अवकाश पर गया था। इस दौरान, 04.06.2025 को, अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में जिला बस्तर में युक्तिकरण योजना के अंतर्गत परामर्श आयोजित किया गया था। उसी दिन, अर्थात् 04.06.2025 को, उत्तरवादी संख्या 5 ने अपीलकर्ता का अवकाश रद्द कर दिया और उसे 05.06.2025 को अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपने अवकाश के रद्द होने की सूचना मिलने पर, अपीलकर्ता ने तुरंत अपनी वापसी यात्रा शुरू कर दी। हालांकि, वापस लौटने के दौरान उन्हें पता चला कि 06.06.2025 को उत्तरवादी क्रमांक 4-कलेक्टर और जिला स्तरीय युक्तिकरण समिति के अध्यक्ष, जिला बस्तर ने बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए या सुनवाई का अवसर दिए उनके खिलाफ निलंबन आदेश पारित किया था। इसके बाद, 09.06.2025 को अपीलकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 5 के समक्ष सेवा पर उपस्थित हुआ और उसी दिन निलंबन आदेश के खिलाफ उत्तरवादी क्रमांक 3 के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। हालांकि, उत्तरवादी क्रमांक 3 से आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। इसके बाद, अपीलकर्ता ने 06.06.2025 के निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए इस माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिका डब्ल्यूपीएस क्रमांक 5711/2025 दायर की, जो 04.07.2025 को खारिज हो गई।



2025:सीजीएचसी:36393-डीबी

6. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस बात को समझने में विफल रहे कि, WPS संख्या 3160/2006 में, इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09.10.2014 के तहत यह निर्णय दिया था कि किसी जिले के कलेक्टर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं आचरण) नियम, 1966 (संक्षेप में, '1966 के नियम') के तहत किसी द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी को निलंबित करने या उसके विरुद्ध विभागीय जाँच शुरू करने का अधिकार नहीं है। अपीलकर्ता ने दिनांक 25.06.2025 के एक कवरिंग ज्ञापन के माध्यम से उक्त निर्णय को विद्वान एकल न्यायाधीश के संज्ञान में लाया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि एक समान रिट याचिका, अर्थात् डब्ल्यूपीएस संख्या 2804/2015, को इस न्यायालय ने दिनांक 10.08.2015 के आदेश द्वारा अनुमति दी थी, जिसमें एक अक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया था। अपीलकर्ता का मामला भी इसी प्रकृति का है, और उक्त आदेश की एक प्रति पहले ही रिट याचिका में 'अनुलग्नक पी/10' के रूप में अभिलेख में दर्ज की जा चुकी थी। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया गया कि डब्ल्यूपीएस संख्या 2804/2015 का निर्णय इस आधार पर भिन्न था कि दिनांक 04.08.2008 की अधिसूचना समन्वय पीठ के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत नहीं की गई थी, और इसलिए, उस निर्णय का कोई लाभ अपीलकर्ता को नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 04.08.2008 की अधिसूचना राज्य के सभी संभागीय आयुक्तों को राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी अधिकारियों पर 1966 के नियम 10 के खंड (i) से (iv) के अंतर्गत निर्दिष्ट दंड लगाने का अधिकार मात्र प्रदान करती है। उक्त अधिसूचना की एक प्रति अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 23.06.2025 के एक कवरिंग ज्ञापन के अंतर्गत रिट याचिका में पहले ही दाखिल कर दी गई थी।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 04.07.2025 के आक्षेपित आदेश को पारित करने में त्रुटि की है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को डब्ल्यूपीएस संख्या 2062/2016 (पंचू राम ठाकुर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में पारित दिनांक 21.06.2021 के निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया गया था। प्रस्तुत किया गया है कि उक्त निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है, क्योंकि **पंचू राम ठाकुर (सुप्रा)** में निलंबन आदेश संभागीय आयुक्त द्वारा द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित) अधिकारी के विरुद्ध पारित किया गया था, जबकि वर्तमान मामले में निलंबन आदेश कलेक्टर-सह-जिला स्तरीय युक्तिकरण समिति, जिला बस्तर द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध पारित किया गया था। पंचू राम ठाकुर (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने यह माना कि संभागीय आयुक्त, जिन्हें 1966 के नियम 12(2) के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकारी की शक्तियाँ सौंपी गई हैं, एक द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित) अधिकारी को निलंबित करने के लिए सक्षम हैं; हालाँकि, उनके पास अधिकारी का मुख्यालय बदलने का अधिकार नहीं है। अतः, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 04.07.2025 का आक्षेपित आदेश विकृत और मामले के तथ्यों के विपरीत है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

8. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद, अपीलकर्ता/रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है, और इस प्रकार, विवादित आदेश में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

9. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।



2025:सीजीएचसी:36393-डीबी

10. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई मुख्य शिकायत यह है कि कलेक्टर, बस्तर (जगदलपुर), अपीलकर्ता के नियुक्ति प्राधिकारी न होने के कारण, आक्षेपित निलंबन आदेश पारित करने की क्षमता नहीं रखते थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी कार्यवाही केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही, पूर्णतः कानून के अनुसार की जा सकती थी। इस संबंध में, 1966 के नियम 9(1) का हवाला दिया जाता है, जो यह निर्धारित करता है कि किसी सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी, या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी, या अनुशासन प्राधिकारी, या राज्यपाल द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है। सुलभ संदर्भ के लिए, 1966 के नियम 9(1) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"9 (1). नियुक्ति प्राधिकारी या कोई प्राधिकारी जिसके वह अधीनस्थ हो या अनुशासनात्मक प्राधिकारी या राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी, किसी सरकारी सेवक को निलंबित कर सकता है—

(क) जहाँ उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित हो या लंबित हो, या

(ख) जहाँ उसके विरुद्ध किसी आपराधिक अपराध के संबंध में कोई मामला जाँच, जाँच या विचारण के अधीन हो:

[परन्तु यह कि किसी सरकारी सेवक को अनिवार्य रूप से तब निलंबित किया जाएगा जब उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक अधमता से संबंधित आपराधिक अपराध का चालान दायर किया जाता है:] [अधिसूचना संख्या सी-6-2-96-3-(I), दिनांक 3 अगस्त, 1996 द्वारा अंतःस्थापित।]

इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि जहाँ निलंबन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न किसी प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, तो ऐसा प्राधिकारी तुरंत नियुक्ति प्राधिकारी को उन परिस्थितियों की रिपोर्ट देगा जिनमें आदेश दिया गया था।"

11. यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का मूल पद प्राचार्य का है और वर्ष 2018 से वह प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.) के पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लागू नियमों के अनुसार, अपीलार्थी का नियुक्ति प्राधिकारी सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग है। अधिसूचना दिनांक 04.08.2008 द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियां संभागीय आयुक्त को प्रत्यायोजित की गई थीं। हालाँकि, दिनांक 06.06.2025 का आरोपित निलंबन आदेश उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा पारित किया गया था, जो सक्षम प्राधिकारी नहीं है। अतः उक्त निलंबन आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और बिना वैध प्राधिकार के पारित किया गया है। इसके अलावा, आदेश पर स्वयं कलेक्टर ने नहीं, बल्कि उनकी ओर से किसी अन्य अधिकारी ने हस्ताक्षर किए हैं।

12. इसके अतिरिक्त, आक्षेपित निलंबन आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि यह किसी विभागीय कार्यवाही के तहत जारी किया गया था, जो कि 1966 के नियम 9(1)(क) का उल्लंघन है। यह आदेश अपीलकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना या कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना पारित किया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिनांक 27.11.2012 के परिपत्र के तहत, उत्तरवादी संख्या 4 अपीलकर्ता के विरुद्ध सीधे निलंबन आदेश जारी करने के लिए सक्षम नहीं था।



2025:सीजीएचसी:36393-डीबी

13. यह एक स्थापित विधिक प्रस्ताव है कि जिस प्राधिकारी को सक्षमता प्रदान की गई है, वही आदेश पारित कर सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एयर लाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (**ALPAI**) एवं अन्य की संयुक्त कार्रवाई समिति बनाम नागरिक उड्डयन महानिदेशक एवं अन्य, (2011) 5 SCC 435 में रिपोर्ट किए गए मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया:

"**26.** उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि दिनांक **29-5-2008** का परिपत्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जिसके पास कोई क्षमता नहीं है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। यह एक स्थापित विधिक प्रस्ताव है कि जिस प्राधिकारी को कानून के तहत क्षमता प्रदान की गई है, वही आदेश पारित कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति, यहाँ तक कि कोई उच्च प्राधिकारी भी, वैधानिक प्राधिकारी के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्तियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे अपने विवेक, इच्छाशक्ति और निर्णय लेने के अधिकार को गिरवी रखें और ऐसे आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहें जिनकी कानून में कोई पवित्रता नहीं है। इस प्रकार, यदि कोई निर्णय किसी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर या सुझाव पर लिया जाता है जिसकी कोई वैधानिक भूमिका नहीं है, तो वह स्पष्ट रूप से अवैध होगा। (देखें पुरतपुर कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार के गन्ना आयुक्त, चंद्रिका झा बनाम बिहार राज्य, तरलोचन देव शर्मा बनाम पंजाब राज्य और मनोहर लाल बनाम उग्रसेन।)

27. इसी प्रकार का दृष्टिकोण इस न्यायालय ने पुलिस आयुक्त बनाम गोरधनदास भानजी, बहादुरसिंह लखूभाई गोहिल बनाम जगदीशभाई एम. कमलिया और पंचम चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामलों में दोहराया है, जिसमें कहा गया है कि किसी प्राधिकारी को केवल कानून के तहत कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है, उसे उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा हस्तक्षेप, जिसे कानून कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है, कानून की दृष्टि से पूरी तरह अनुचित है। यह संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है।

28. उपरोक्त के मद्देनजर, कानूनी स्थिति यह उभरती है कि जिस प्राधिकारी को केवल अपने विवेक का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है, वह आदेश पारित कर सकता है। यहां तक कि एक वरिष्ठ अधिकारी भी किसी प्राधिकारी को किसी विशेष तरीके से कार्य करने के लिए कानून के तहत कोई दिशानिर्देश या निर्देश नहीं दे सकता है।

14. हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त तर्कों पर विचार किए बिना, दिनांक 04.07.2025 को विवादित आदेश पारित किया, जिसमें अपीलकर्ता को 1966 के नियम 23 के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष निलंबन आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

15. इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, मुंबई और अन्य के मामले में, (1998) 8 एससीसी 1 में रिपोर्ट की गई, कंडिका 15 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:--

"**15....** कि उच्च न्यायालय सामान्यतः अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन वैकल्पिक उपाय को इस न्यायालय द्वारा लगातार कम से कम तीन आकस्मिकताओं में बाधा के रूप में कार्य नहीं करने के लिए माना गया है, अर्थात्, जहाँ रिट याचिका किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए दायर की गई हो या जहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो या जहाँ आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर हो या किसी अधिनियम की शक्तियों को चुनौती दी गई हो। इस बिंदु पर अनेक मामले-कानून मौजूद हैं, लेकिन फॉरेंसिक भंवर के इस चक्र को कम करने के लिए, हम संवैधानिक कानून के विकासवादी युग के कुछ पुराने निर्णयों पर भरोसा करेंगे क्योंकि वे अभी भी सुसंगत हैं।"



2025:सीजीएचसी:36393-डीबी

16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, और ऊपर वर्णित कारणों से, उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 06.06.2025 का आक्षेपित निलंबन आदेश, जो एक अक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था, एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। हालाँकि, उत्तरवादी संख्या 3 इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार, इस विवादक पर एक नया आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. तदनुसार, वर्तमान रिट अपील स्वीकार की जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यूपीएस संख्या 5711/2025 में पारित दिनांक 04.07.2025 का आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता/रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

सही/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
(बिभु दत्ता गुरु)
न्यायाधीश





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

